

( आ० २० नियम ६ / जा० २० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वईजलास श्री श्री. एल. शर्मा ( आ० २० ए० ए० )

अनवान प्रकरण

- १ श्री लालू ७० सवाईराम कुम्हार निवासी- लसाडिया, तहसील- माण्डल
२. श्री उदा ३० सवाईराम कुम्हार निवासी " "
३. श्री माधु ३० सवाईराम कुम्हार निवासी " "
४. लाली भुजी डालु कुम्हार निवासी " "
५. श्रीमती मोहनीपत्नी डालु कुम्हार निवासी " "
६. श्री भागीरथ ३० मोती कुम्हार निवासी " " वादी

बनाम

- १ श्री लालू ३० श्री हजारी गुर्जर निवासी- लसाडिया, त० माण्डल
२. श्री नगंजी ३० श्री हजारी गुर्जर निवासी " "
३. श्रीमती हजा ५० श्री हजारी गुर्जर निवासी " "
४. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, त० माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा १८६ मुकदमा नं० / वर्ष २६/१८ निर्णय दिनांक २५-५-१८  
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कलई स्थान अदालत व हिजरी बकील वादी  
मिनजानिव मुददई व पवन शर्मा Advo. के द्वारा मुदादला पेश हाकर हुक्म  
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम  
लसाडिया पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में स्थित आराजी  
सेरपा ५१३, ५१५, ५१७ कुल डिता ०३ रुबा ०५ बिस्वा है जिसमें  
तहसीलदार माण्डल को माँका कमिशनर नियुक्त किया जाकर वादीगण  
एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के अनुसार पैमाईश कर  
(आप-चौप) वादीगण को उनके व प्रतिवादीगण को इनके हक हिस्सेनुसार  
भूमि सपुर्द की जावे।

खर्चा फरिदम अपना-अपना वहम करे।

आज तारीख २५-५-१८ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा